सरलीकरण एवं सुधार

1. Designated Trades में आई0टी0आई0 पास के लिये केवल प्रयोगात्मक विषय की परीक्षा।
2. Designated Trades में परीक्षा के अंक upload करने के लिये पूरे वर्ष link open.
3. Designated Trades में NAPS के अर्न्तगत छात्र वृत्तिका की प्रतिपूर्ति DBT के माध्यम सीधे शिशिक्षु के बैंक खाते में।
4. Optional Trades के शिशिक्षु प्रशिक्षण अवधि में समरूपता।
5. Optional Trades में Basic Training का Total Apprenticeship Training में समायोजन।
6. NATS के अन्तर्गत अधिष्ठानों द्वारा कुल कार्मिक क्षमता 2.5%के बैन्ड में न्यूनतम शिशिक्षु नियोजित करने पर अधिनियम का अनुपालन माना जाना।
7. BTP मानको का सरलीकरण।

नेशनल अप्रेन्टिसशिप प्रमोशन स्कीम (NAPS)

1. भारत सरकार द्वारा शिशिक्षु प्रशिक्षण के संवर्द्धन के लिये अगस्त 2016 से National Apprenticeship Promotion Scheme लागू किया गया। जिसके अर्न्तगत शिशिक्षु की संख्याओं में वृद्धि के उद्देश्य से अधिष्ठानों के मध्य शिशिक्षु प्रशिक्षण को आकर्षित करने के लिये प्रथम बार छात्रवृत्तिका की प्रतिपूर्ति का प्राविधान दिया गया है।

2. अधिष्ठानों द्वारा शिशिक्षु को मानकानुसार दी जा रही छात्र वृत्तिका का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 1500.00 प्रतिमाह प्रतिपूर्ति अधिष्ठानों को।

शिशिक्षु का नियोजन

भारत सरकार द्वारा शिशिक्षु के नियोजन को Transparent एवं पंजीकरण में लगने वाले समय में कटौती के लिये पोर्टल

www.apprenticeshipindia.org के माध्यम से अधिष्ठान/सार्वजनिक उपक्रमों में नियोजन की व्यवस्था की गई। जिसके अर्न्तगत अधिष्ठानों एवं शिशिक्षुओं दोनों को उक्त पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना अनिवार्य है एवं नियोजन की पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन प्रक्रिया के अनर्तगत नीचे अंकित QR कोड के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता है।

वर्तमान समय में राज्य के कुल 1502 निजी अधिष्ठान/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराते हुये विभिन्न Designated & Optional Trades में कुल 16732 शिशिक्षु प्रशिक्षण हेतु अपलोड की हैं। साथ ही 48205 आवेदकों द्वारा उपरोक्त पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया जा चुका है।

Establishment Registration
हेतु स्कैन करें

Apprentice Registration
हेतु स्कैन करें

कौशल विकास एवं सेवायोजन निदेशालय,
रामपुर रोड, हल्द्वानी जिला-नैनीताल-263139
फोन नं0- 05946-235659, फैक्स नं0- 05946-234866
ई-मेल-dteu@rediffmail.com

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग उत्तराखण्ड

प्रशिक्षण प्रखण्ड

सीखो भी और कमाओ भी

शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना

किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिये उस राष्ट्र के मानव संसाधन के विकास का होना आवश्यक है। मानव संसाधन के विकास के लिये उसकी कुशलता के लिये उच्चीकरण किया जाना होता है। संस्थानों में दिया जा रहा प्रशिक्षण मानव संसाधन के कौशल को उच्चीकृत किये जाने पूर्णरूपेण पर्याप्त नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि Actual Work Place पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।

इसी उद्देश्य को दृष्टिकरण रखते हुये भारत सरकार द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षार्थियों को Actual Work Place पर प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना लागू की गई।

उद्देश्य

1. केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् द्वारा निर्धारित किये गये पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण अवधि के आधार पर उद्योगों में शिशिक्षु प्रशिक्षण को कियान्वनित करना।

2. उद्योगों के लिये कुशल कार्मिक की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के दृष्टिगत उद्योगों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का पूर्णरूपेण उपयोग करते हुये प्रयोगात्मक प्रशिक्षण प्रदान करना।

कार्य क्षेत्र

ऐसे समस्त निजी अधिष्ठान, सार्वजनिक उपक्रम एवं कार्यालय, जहाँ पर 30 या अधिक कुल कार्मिक क्षमता है, वहाँ पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित शिशिक्षु अधिनियम– 1961 के अर्न्तगत शिशिक्षु प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य।

शिशिक्षु प्रशिक्षण के लिए पात्रता

1. आवेदक की न्यूनतम आयु 14 वर्ष।
2. शैक्षिक योग्यता 05 वीं से परास्नातक।
3. शिशिक्षु प्रशिक्षण की अवधि 01 वर्ष से 03 वर्ष।
4. कुल 39 ग्रुप में 259 निर्दिष्ट व्यवसायों (Designated Trades) में प्रशिक्षण
5. कुल 50 सेक्टर्स में 400 से अधिक वैकल्पिक व्यवसायों (Optional Trades) में प्रशिक्षण
6. नियोजक एवं शिशिक्षु के मध्य अनुबन्ध।

छात्रवृत्तिका

क्रं0	श्रेणी	न्यूनतम वृत्तिका की निर्धारित रकम
1.	स्कूल पास–आउट (5वीं–9वीं)	रू0 5000 प्रतिमाह
2.	स्कूल पास आउट (10 वीं)	रू0 6000 प्रतिमाह
3.	स्कूल पास आउट (12 वीं)	रू0 7000 प्रतिमाह
4.	राष्ट्रीय या राज्य व्यवसाय प्रमाण–पत्र धारक	रू0 7000 प्रतिमाह
5.	तकनीशियन शिक्षु या किसी भी स्ट्रीम से डिप्लोमा धारक या सैंडविच पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थाओं से छात्र)	रू0 8000 प्रतिमाह
6.	किसी भी स्ट्रीम से स्नातक, स्नातक शिक्षु या डिग्री शिक्षु	रू0 9000 प्रतिमाह

परीक्षा एवं प्रमाण–पत्र

1. Designated Trades में सफलता पूर्वक शिशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिशिक्षु को प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा आयोजित अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर National Apprenticeship Certificate (NAC) की उपलब्धता।

2. Optional Trades में सफलता पूर्वक शिशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिशिक्षु को National Skill Development Corporation द्वारा आयोजित परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर Certificate की उपलब्धता।

अप्रेन्टिस को लाभ

1. उद्योगों/अधिष्ठानों में रोजगार से जुड़ा व्यावसायिक प्रशिक्षण।
2. अप्रेन्टिसशिप के दौरान औद्योगिक परिवेश में कार्य करने का अनुभव।
3. रोजगारपरक आधुनिक कौशल को सीखने व उनमें दक्ष होने का अवसर।
4. अप्रेन्टिसशिप के दौरान अर्जित कौशल से ज्ञान व आत्म विश्वास में वृद्धि।
5. अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग के दौरान प्रतिमाह कम से कम रू0 5000 से रू0 9000 तक का भुगतान।
6. सम्बन्धित उद्योग अधिष्ठान में अप्रेन्टिसशिप के पश्चात् रोजगार की बेहतर सम्भावनाएं।

उद्योगों को लाभ

1. अपने उद्योग/अधिष्ठान की आवश्यकता के अनुरूप आवेदकों की उपलब्धता।
2. युवाओं को प्रशिक्षित करने का अवसर।
3. अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से उत्पादन क्षमता में वृद्धि।
4. अत्यन्त ही कम व्यय पर कुशल जनशक्ति की उपलब्धता।
5. अप्रेन्टिस को देय धनराशि के सापेक्ष अधिकतम रू0 1500/–प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति।